मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

हर वोट कीमती • हर निकाय महत्वपूर्ण

नामनिर्देशन (OLIN/Offline) एवं IEMS

महत्वपूर्ण परिवर्तन

- नामनिर्देशन प्ररूप–3 (नगरपालिका).
- नामनिर्देशन प्ररूप–4 (पंचायत).
- पावती एवं संवीक्षा की सूचना.
- मिलान सूची (चैकलिस्ट) की समाप्ति.
- अंग्रेजी में नाम प्राप्त करने के लिए निर्धारित परिशिष्ट–1 की समाप्ति.
- OLIN चैकलिस्ट नगरपालिका.
- OLIN चैकलिस्ट पंचायत.

प्ररूप –3

[नियम 24(2) देखिए]

नाम निर्देशन पत्र

*** नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् .... के**
*** महापौर/अध्यक्ष/वार्ड क्रमांक .... से पार्षद का निर्वाचन**

मैं, जिला .... की *नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् .... के *महापौर/अध्यक्ष/ वार्ड क्रमांक .... से पार्षद के निर्वाचन के लिए, निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट करता हूं/करती हूं :—

अभ्यर्थी का नाम .... पिता/पति का नाम ....
उसका डाक का पता ....
उसका नाम उपर्युक्त *नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् के वार्ड क्रमांक ....(शब्दों में ....) की मतदाता सूची के भाग अनुक्रमांक ....(शब्दों में ....) में क्रमांक ....(शब्दों में ....) पर प्रविष्ट हैं.

2. मेरा नाम .... है, जो उपर्युक्त *नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् के वार्ड क्रमांक ....(शब्दों में ....) की मतदाता सूची के भाग अनुक्रमांक ....(शब्दों में ....) में क्रमांक ....(शब्दों में ....) पर प्रविष्ट है.

तारीख ....

पुराना नामनिर्देशन प्ररूप–3 (नगरपालिका)

....
प्रस्तावक के हस्ताक्षर
(नाम ....)

मैं, ऊपर नामित अभ्यर्थी इस नाम निर्देशन को अपनी सम्मति देता/देती हूं और एतद्द्वारा यह घोषणा करता/करती हूं कि :—

(क) मैंने .... वर्ष की आयु पूरी कर ली है;

** (ख) मुझे इस निर्वाचन में .... दल द्वारा खड़ा किया गया है;

(ग) मेरे द्वारा चुने गये प्रतीक अधिमान क्रम में,—
(एक) .... (दो) .... (तीन) .... है.

(घ) मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार मैं उपर्युक्त *नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/ नगर परिषद् के महापौर/अध्यक्ष/पार्षद् के स्थान के लिए चुने जाने हेतु अर्हित हूं एवं निरर्हित नहीं हूं.

** (ङ) मैं .... (*) अनुसूचित जाति/जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग का/ की सदस्य हूं जो मध्यप्रदेश राज्य के जिला .... के सम्बन्ध में (*) अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में अधिसूचित है.

(च) मेरा नाम और मेरे पिता/पति का नाम ऊपर हिन्दी में सही रूप से लिखा गया है और मेरे नाम मतपत्र तथा निर्वाचन से संबंधित दस्तावेजों में नीचे दिये गये अनुसार लिखा जाए.***

....

तारीख ....

....
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(नाम ....)

नवीन नामनिर्देशन प्रपत्र–3 (नगरपालिका)

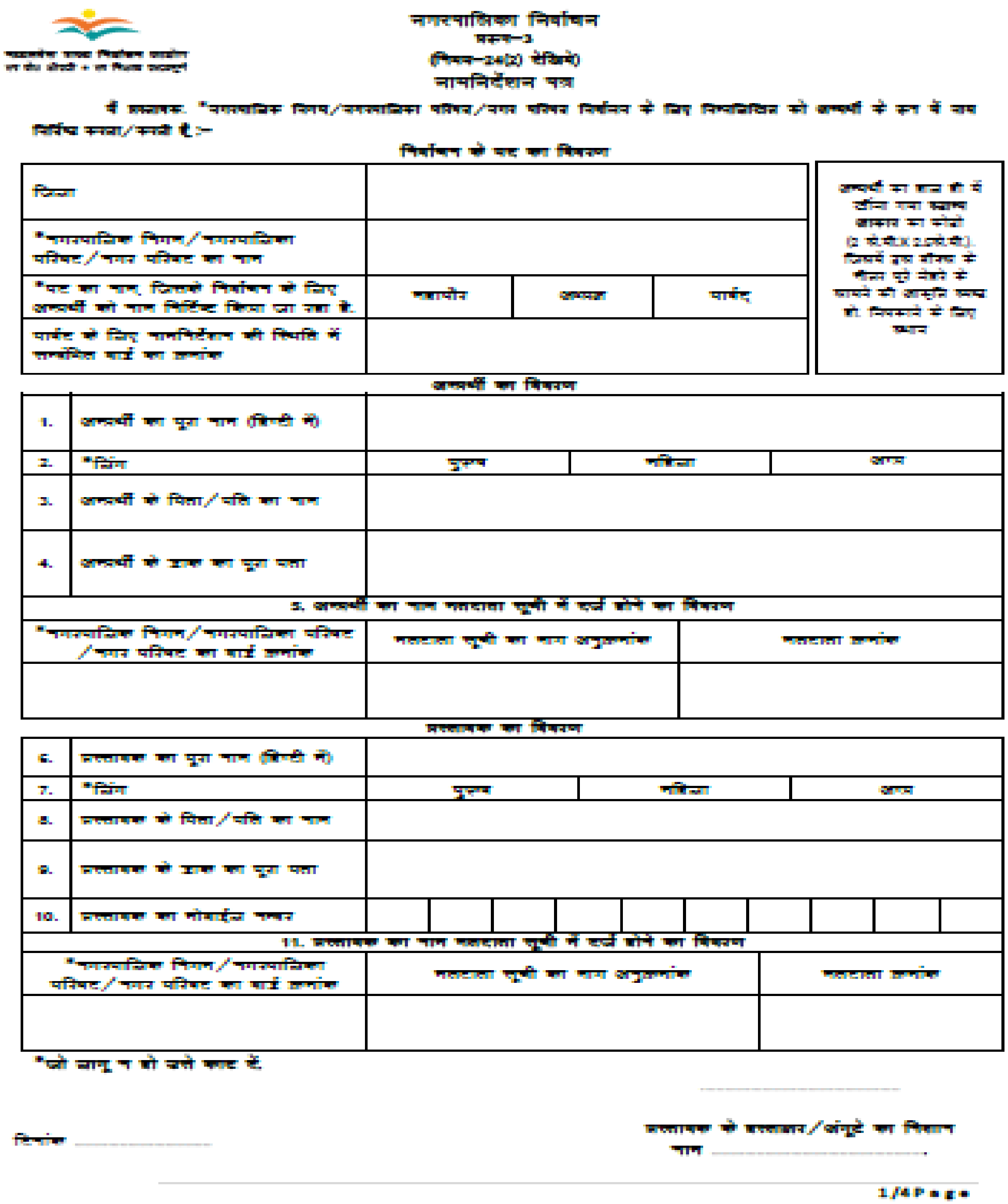

नगरपालिका निर्वाचन
प्रपत्र–3
(नियम–24(2) देखिये)
नामनिर्देशन पत्र

मैं प्रस्तावक, *नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत निर्वाचन के लिए निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट करता/करती हूँ :–

निर्वाचन के पद का विवरण

जिला			
*नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत का नाम			
*पद का नाम, जिसके निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी को नाम निर्दिष्ट किया जा रहा है.	महापौर	अध्यक्ष	पार्षद
पार्षद के लिए नामनिर्देशन की स्थिति में सम्बन्धित वार्ड का क्रमांक			

अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया पासपोर्ट आकार का फोटो (2 से.मी.X 2.5से.मी.) जिसमें मुख बीच के भीतर पूरे तौर के सामने की आकृति स्पष्ट हो, चिपकाने के लिए स्थान

अभ्यर्थी का विवरण

1.	अभ्यर्थी का पूरा नाम (हिन्दी में)			
2.	*लिंग	पुरुष	महिला	अन्य
3.	अभ्यर्थी के पिता/पति का नाम			
4.	अभ्यर्थी के डाक का पूरा पता			

5. अभ्यर्थी का नाम मतदाता सूची में दर्ज होने का विवरण

*नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत का वार्ड क्रमांक	मतदाता सूची का भाग अनुक्रमांक	मतदाता क्रमांक

प्रस्तावक का विवरण

6.	प्रस्तावक का पूरा नाम (हिन्दी में)			
7.	*लिंग	पुरुष	महिला	अन्य
8.	प्रस्तावक के पिता/पति का नाम			
9.	प्रस्तावक के डाक का पूरा पता			
10.	प्रस्तावक का मोबाईल नम्बर			

11. प्रस्तावक का नाम मतदाता सूची में दर्ज होने का विवरण

*नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत का वार्ड क्रमांक	मतदाता सूची का भाग अनुक्रमांक	मतदाता क्रमांक

*जो लागू न हो उसे काट दें.

दिनांक ....

प्रस्तावक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
नाम ....

1/4 Page

पुरानी पावती नामनिर्देशन प्ररूप–3 (नगरपालिका)

नाम निर्देशन पत्र के लिए रसीद और संवीक्षा करने की सूचना

(नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को दी जाने के लिए)

नाम निर्देश पत्र का क्रमांक ....

(*) श्री/कु./श्रीमती .... का, जो *नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् .... के महापौर/अध्यक्ष/वार्ड क्रमांक .... से पार्षद् के निर्वाचन के लिए एक अभ्यर्थी है, नाम निर्देशन पत्र मुझे (तारीख) .... को .... (बजे) अभ्यर्थी/प्रस्तावक द्वारा परिदत्त किया गया. समस्त नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा तारीख ....को .... बजे .... (स्थान) में की जायेगी.

तारीख ....

....

रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका)

(नाम ....)

---

* लागू न होने वाला शब्द काट दीजिए.

नवीन पावती नामनिर्देशन प्ररूप–3 (नगरपालिका)

*महापौर/अध्यक्ष/पार्षद के अभ्यर्थी को प्रदान करने के लिए नामनिर्देशन पत्र की पावती और संवीक्षा करने की सूचना.

1.	नामनिर्देशन का क्रमांक		
2.	रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामनिर्देशन प्रस्तुत करने की तारीख		
3.	रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामनिर्देशन प्रस्तुत करने का समय		
4.	*रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामनिर्देशन प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति	अभ्यर्थी	प्रस्तावक
5.	अभ्यर्थी का नाम		
6.	*नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगरपरिषद् का नाम		
7.	पद का नाम जिसके निर्वाचन के लिए नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत किया गया है. (पार्षद की स्थिति में वार्ड क्रमांक भी अंकित किया जाए)		
8.	नामनिर्देशन पत्र की संवीक्षा की तिथि		
9.	नामनिर्देशन पत्र की संवीक्षा का समय		
10.	नामनिर्देशन पत्र की संवीक्षा का स्थान		

नामनिर्देशन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का विवरण

क्रमांक	दस्तावेज का विवरण	संलग्न (हाँ/नहीं)	यदि संलग्न नहीं है तो उक्त दस्तावेज रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करने की समयसीमा	
			दिनांक एवं समय	अवसर
1	2	3	4	5
1.	मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम–24(क) के तहत् आपराधिक पूर्ववृत्त, आस्तियों, दायित्वों तथा शैक्षणिक अर्हता घोषित करने के सम्बंध में विहित प्ररूप में शपथपत्र दो हस्ताक्षरित अतिरिक्त प्रति के साथ.		अभ्यर्थी/रिटर्निंग ऑफिसर को नामनिर्देशन पत्र परिदत्त करते समय ही प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है.	
2.	राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किये जाने की स्थिति में मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम–21(2) के तहत् प्ररूप–8			नामवापसी के लिए निर्धारित दिनांक एवं समय के पूर्व
3.	राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किये जाने की स्थिति में मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम–21(2) के तहत् प्ररूप–9			नामवापसी के लिए निर्धारित दिनांक एवं समय के पूर्व
4.	आरक्षित वर्ग का सदस्य होने की स्थिति में मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र की प्रति.			संवीक्षा के लिए निर्धारित दिनांक एवं समय के पूर्व
5.	प्रतिभूति राशि जमा किये जाने की रसीद.		प्रतिभूति राशि जमा किये जाने की रसीद, रिटर्निंग ऑफिसर को नामनिर्देशन पत्र परिदत्त करते समय ही प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है.	
6.	*मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा–17/मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा–35 के अंतर्गत विद्युत कम्पनी का बकाया न होने के सम्बंध में अदेय प्रमाणपत्र.			संवीक्षा के लिए निर्धारित दिनांक एवं समय के पूर्व
7.	*मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा–17/मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा–35 के अंतर्गत *नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगरपरिषद् का बकाया न होने के सम्बंध में अदेय प्रमाणपत्र.			संवीक्षा के लिए निर्धारित दिनांक एवं समय के पूर्व
8.	मतपत्र पर मुद्रित करने के लिए अभ्यर्थी का पासपोर्ट आकार का एक अभिप्रमाणित रंगीन फोटोग्राफ.			नामवापसी के लिए निर्धारित दिनांक एवं समय के पूर्व
9.	अन्य –			
10.	अन्य –			

*जो लागू न हो उसे काट दें.

दिनांक ....

रिटर्निंग ऑफिसर (नगर पालिका) के हस्ताक्षर

नाम ....

सील ....

नवीन नामनिर्देशन प्ररूप–3 (नगरपालिका)

- 21 कॉलम का संशोधित प्ररूप.
- स्टॉम्प आकार का फोटो चिपकाने के लिए स्थान.
- कॉलम क्रमांक–19 में मतपत्र पर मुद्रित किये जाने वाले नाम के लिए स्थान (हिन्दी में).
- कॉलम क्रमांक–20 में मतपत्र में मुद्रित किये जाने वाले अभ्यर्थी के नाम की अंग्रेजी स्पेलिंग के लिए स्थान.
- प्रस्तावक और अभ्यर्थी का मोबाईल नम्बर अंकित करने के लिए स्थान (कॉलम क्रमांक–10 एवं 21).

नवीन नामनिर्देशन प्ररूप–3 (नगरपालिका)

- नामनिर्देशन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज़ों का विवरण अंकित करने का प्रावधान.
- नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुतिकरण के समय नामनिर्देशन क्रमांक/ तारीख/समय के साथ साथ संलग्न दस्तावेज़ों का विवरण रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अंकित करने का प्रावधान.
- नामनिर्देशन पत्र को स्वीकृत या प्रतिक्षेपित करने सम्बंधी आदेश अंकित करने के लिए पर्याप्त स्थान.
- नामनिर्देशन पत्र की पावती और संवीक्षा करने की सूचना में संलग्न दस्तावेज़ों का विवरण और विशिष्ट निर्देश अंकित करने का प्रावधान.

मिलान सूची (चैकलिस्ट) की समाप्ति

- पूर्व में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मिलान सूची (चैकलिस्ट) में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज़ों का विवरण अंकित किया जाता था और दस्तावेज़ संलग्न न होने पर उन्हें प्रस्तुत करने की समयसीमा सम्बंधी निर्देश दिये जाते थे.
- संशाधित प्ररूप में उक्त प्रावधान पावती एवं संवीक्षा करने की सूचना में समाविष्ट कर दिया गया है.

अंग्रेजी में नाम प्राप्त करने के लिए निर्धारित परिशिष्ट–1 की समाप्ति

- आयोग द्वारा मतपत्र पर अभ्यर्थियों के नामों का क्रम निर्धारण अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के आधार पर करने का प्रावधान किया गया है.
- पुराने नामनिर्देशन प्ररूप–3 में अभ्यर्थी के नाम को अंग्रेजी में प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं था, इसलिए परिशिष्ट–1 में अंग्रेजी में नाम प्राप्त किया जाता था.
- नवीन नामनिर्देशन प्ररूप–3 के कॉलम–20 में मतपत्र में मुद्रित किये जाने वाले अभ्यर्थी के नाम की अंग्रेजी स्पेलिंग अंकित किये जाने का प्रावधान किया गया है और परिशिष्ट–1 को समाप्त कर दिया गया है.

पुराना नामनिर्देशन प्ररूप–4 (क,ख,ग,घ) (पंचायत)

प्ररूप-4 क

(नियम 31 देखिए)

नाम निर्देशन पत्र

ग्राम पंचायत के पंच का निर्वाचन

मैं, जिला .... के खण्ड .... की ग्राम पंचायत .... के वार्ड क्रमांक .... से पंच के निर्वाचन के लिए, निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट करता हूं/करती हूं :—

अभ्यर्थी का नाम ....

पिता/पति का नाम ....

उसका पता ....

उसका नाम पूर्वोक्त ग्राम पंचायत के वार्ड क्रमांक .... (शब्दों में ....) की मतदाता सूची में क्रमांक .... (शब्दों में ....) पर प्रविष्ट है.

2. मेरा नाम .... है, जो पूर्वोक्त ग्राम पंचायत के वार्ड क्रमांक .... (शब्दों में ....) की मतदाता सूची में क्रमांक .... (शब्दों में ....) पर प्रविष्ट है.

तारीख ....

....
प्रस्तावक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
(नाम ....)

मैं, ऊपर वर्णित अभ्यर्थी इस नाम निर्देशन को अपनी सम्मति देता/देती हूं और एतद्द्वारा यह घोषणा करता/करती हूं कि :—

(क) मैंने .... वर्ष की आयु पूरी कर ली है;

(ख) मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार मैं पूर्वोक्त ग्राम पंचायत के पंच के स्थान के लिए चुने जाने हेतु अर्हित हूं एवं निरर्हित नहीं हूं।

*(ग) मैं .... अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का/की सदस्य हूं जो मध्यप्रदेश राज्य के जिला .... के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में अधिसूचित है।

(घ) मेरा नाम और मेरे पिता/पति का नाम ऊपर हिन्दी में देवनागरी लिपि में सही रूप से लिखा गया है। मेरा नाम मतपत्र तथा निर्वाचन से संबंधित दस्तावेजों में नीचे दिये गये अनुसार लिखा जाए :—

....

....
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(नाम ....)

* जो लागू न हो उसे काट दीजिए।

प्ररूप–4 ख

(नियम 31 देखिए)

नामनिर्देशन–पत्र

ग्राम पंचायत के सरपंच का निर्वाचन

मैं, जिला .... के खण्ड .... की ग्राम पंचायत .... से सरपंच के निर्वाचन के लिए, निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्दिष्ट करता हूं/करती हूं :—

अभ्यर्थी का नाम ....

पिता/पति का नाम ....

उसका पता ....

उसका नाम जिला .... के खण्ड .... की पूर्वोक्त ग्राम पंचायत के वार्ड क्रमांक .... (शब्दों में ....) की मतदाता सूची में क्रमांक .... (शब्दों में ....) पर प्रविष्ट है.

2. मेरा नाम .... है, जो जिला .... के खण्ड .... की ग्राम पंचायत के वार्ड क्रमांक .... (शब्दों में ....) की मतदाता सूची में क्रमांक .... (शब्दों में ....) पर प्रविष्ट है.

तारीख ....

....
प्रस्तावक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
(नाम ....)

मैं, ऊपर वर्णित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन को अपनी सम्मति देता/देती हूं और एतद्द्वारा यह घोषणा करता/करती हूं कि :—

(क) मैंने .... वर्ष की आयु पूरी कर ली है;

(ख) मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार मैं पूर्वोक्त ग्राम पंचायत के सरपंच के स्थान के लिए चुने जाने हेतु अर्हित हूं एवं निरर्हित नहीं हूं।

(ग) मैं .... अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग का/की सदस्य हूं जो राज्य के जिला .... के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में अधिसूचित है।

(घ) मेरा नाम और मेरे पिता/पति का नाम ऊपर हिन्दी में देवनागरी लिपि में सही रूप से लिखा गया है। मेरा नाम मतपत्र तथा निर्वाचन से संबंधित दस्तावेजों में नीचे दिये गये अनुसार लिखा जाए :—

....

तारीख. ....

....
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
(नाम ....)

प्ररूप–4 ग

(नियम 31 देखिए)

नाम निर्देशन–पत्र

जनपद पंचायत के सदस्य का निर्वाचन

मैं, जिला .... की जनपद पंचायत .... के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक .... (शब्दों में ....) से सदस्य के स्थान के निर्वाचन के लिए, निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट करता हूं/करती हूं :—

अभ्यर्थी का नाम ....

पिता/पति का नाम ....

उसका डाक का पता ....

उसका नाम जिला .... के खण्ड .... की ग्राम पंचायत .... के वार्ड क्रमांक .... (शब्दों में ....) की मतदाता सूची में क्रमांक .... (शब्दों में ....) पर प्रविष्ट है.

2. मेरा नाम .... है, जो खण्ड .... की ग्रम पंचायत के वार्ड क्रमांक .... (शब्दों में ....) की मतदाता सूची में क्रमांक .... (शब्दों में ....) पर प्रविष्ट है.

तारीख ....

....
प्रस्तावक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
(नाम ....)

मैं, ऊपर वर्णित अभ्यर्थी इस नाम निर्देशन को अपनी सम्मति देता/देती हूं और एतद्द्वारा यह घोषणा करता/करती हूं कि :—

(क) मैंने .... वर्ष की आयु पूरी कर ली है;

(ख) मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार मैं जनपद पंचायत के सदस्य के स्थान के लिए चुने जाने हेतु अर्हित हूं एवं निरर्हित नहीं हूं;

*(ग) मैं .... अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का/की सदस्य हूं जो राज्य के जिला .... के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में अधिसूचित है।

(घ) मेरा नाम और मेरे पिता/पति का नाम ऊपर हिन्दी में देवनागरी लिपि में सही रूप से लिखा गया है। मेरा नाम मतपत्र तथा निर्वाचन से संबंधित दस्तावेजों में नीचे दिये गये अनुसार लिखा जाए :—

....

तारीख. ....

....
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
(नाम ....)

*जो लागू न हो उसे काट दीजिए.

प्ररूप–4 घ

(नियम 31 देखिए)

नाम निर्देशन–पत्र

जिला पंचायत के सदस्य का निर्वाचन

मैं, जिला पंचायत .... के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक .... (शब्दों में ....) से सदस्य के स्थान के निर्वाचन के लिए, निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट करता हूं/करती हूं :—

अभ्यर्थी का नाम ....

पिता/पति का नाम ....

उसका डाक का पता ....

उसका नाम जिला .... के खण्ड .... की ग्राम पंचायत .... के वार्ड क्रमांक .... (शब्दों में ....) की मतदाता सूची में क्रमांक .... (शब्दों में ....) पर प्रविष्ट है.

2. मेरा नाम .... है, जो जिला .... के खण्ड .... के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायत .... के वार्ड क्रमांक .... (शब्दों में ....) की मतदाता सूची में क्रमांक .... (शब्दों में ....) पर प्रविष्ट है.

तारीख ....

....
प्रस्तावक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
(नाम ....)

मैं, ऊपर वर्णित अभ्यर्थी इस नाम निर्देशन को अपनी सम्मति देता/देती हूं और एतद्द्वारा यह घोषणा करता/करती हूं कि :—

(क) मैंने .... वर्ष की आयु पूरी कर ली है;

(ख) मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार मैं जिला पंचायत के सदस्य के स्थान के लिए चुने जाने हेतु अर्हित हूं एवं निरर्हित नहीं हूं;

*(ग) मैं .... अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का/की सदस्य हूं जो राज्य के जिला .... के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में अधिसूचित है।

(घ) मेरा नाम और मेरे पिता/पति का नाम ऊपर हिन्दी में देवनागरी लिपि में सही रूप में लिखा गया है। मेरा नाम मतपत्र तथा निर्वाचन से संबंधित दस्तावेजों में नीचे दिये गये अनुसार लिखा जाए :—

....

तारीख. ....

....
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
(नाम ....)

* जो लागू न हो उसे काट दीजिए.

नवीन नामनिर्देशन प्ररूप–4 (पंचायत)

पंचायत निर्वाचन

प्ररूप–4

(नियम–31 देखिये)

नामनिर्देशन पत्र

*जिला पंचायत सदस्य/जनपद पंचायत सदस्य/सरपंच/पंच

मैं प्रस्तावक *जिला पंचायत सदस्य/जनपद पंचायत सदस्य/सरपंच/पंच के स्थान के लिए निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट करता/करती हूँ :–

*निर्वाचन के पद का विवरण

जिले का नाम	

*जिला पंचायत सदस्य		*जनपद पंचायत सदस्य	
जिला पंचायत का नाम	निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक/वार्ड क्रमांक	जनपद पंचायत का नाम	निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक/वार्ड क्रमांक

*सरपंच		*पंच		
जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड क्रमांक

अभ्यर्थी का विवरण

1.	अभ्यर्थी का पूरा नाम (हिन्दी में)			
2.	*लिंग	पुरुष	महिला	अन्य
3.	अभ्यर्थी के पिता/पति का नाम			
4.	अभ्यर्थी के डाक का पूरा पता			

5. अभ्यर्थी का नाम मतदाता सूची में दर्ज होने का विवरण

जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का वार्ड क्रमांक	मतदाता क्रमांक

प्रस्तावक का विवरण

6.	प्रस्तावक का पूरा नाम (हिन्दी में)			
7.	*लिंग	पुरुष	महिला	अन्य
8.	प्रस्तावक के पिता/पति का नाम			
9.	प्रस्तावक के डाक का पूरा पता			
10.	प्रस्तावक का मोबाईल नम्बर			

11. प्रस्तावक का नाम मतदाता सूची में दर्ज होने का विवरण

जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का वार्ड क्रमांक	मतदाता क्रमांक

*जो लागू न हो उसे काट दें.

दिनांक ....

....

प्रस्तावक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

नाम ....

पुराना नामनिर्देशन प्ररूप–4 (क,ख,ग,घ) (पंचायत) की पावती

नाम निर्देशन पत्र के लिए रसीद और संवीक्षा करने की सूचना

(नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को दी जाने के लिए)

नाम निर्देशन-पत्र का क्रमांक ....

श्री/कु./श्रीमती .... जो ग्राम पंचायत .... के पंच के निर्वाचन के लिए एक अभ्यर्थी है, का नाम का निर्देशन-पत्र मुझे (तारीख) .... को .... (बजे) *अभ्यर्थी/प्रस्तावक द्वारा परिदत्त किया गया। समस्त नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा तारीख .... को .... बजे (स्थान) .... में की जायेगी।

तारीख...............

....

रिटर्निंग आफिसर (पंचायत)

(नाम ....)

---

*जो लागू न हो उसे काट दीजिए.

नवीन नामनिर्देशन प्ररूप–4 (पंचायत) की पावती

*जिला पंचायत सदस्य/जनपद पंचायत सदस्य/सरपंच/पंच पद के अभ्यर्थी को प्रदान करने के लिए नामनिर्देशन पत्र के लिए पावती और संवीक्षा करने की सूचना.

1.	नामनिर्देशन का क्रमांक		
2.	रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामनिर्देशन प्रस्तुत करने की तारीख		
3.	रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामनिर्देशन प्रस्तुत करने का समय		
4.	*रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामनिर्देशन प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति	अभ्यर्थी	प्रस्तावक
5.	अभ्यर्थी का नाम		
6.	पद का नाम जिसके लिए नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिला पंचायत सदस्य/जनपद पंचायत सदस्य के लिए निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड क्रमांक भी अंकित करें। सरपंच के लिए ग्राम पंचायत का नाम और पंच के लिए ग्राम पंचायत तथा वार्ड का क्रमांक भी अंकित करें।		
7.	नामनिर्देशन पत्र की संवीक्षा की तिथि		
8.	नामनिर्देशन पत्र की संवीक्षा का समय		
9.	नामनिर्देशन पत्र की संवीक्षा का स्थान		

नामनिर्देशन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का विवरण

क्रमांक	दस्तावेज का विवरण	संलग्न (हाँ/नहीं)	यदि संलग्न नहीं है तो उक्त दस्तावेज रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करने की समयसीमा	
			दिनांक एवं समय	अवसर
1	2	3	4	5
1.	मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम–31(क) के तहत आपराधिक पूर्ववृत्त, आस्तियों, दायित्वों तथा शैक्षणिक अर्हता घोषित करने के सम्बन्ध में निर्धारित प्ररूप में *शपथपत्र/घोषणापत्र दो हस्ताक्षरित अतिरिक्त प्रति के साथ.		*शपथपत्र/घोषणापत्र, रिटर्निंग ऑफिसर को नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय ही प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है.	
2.	आरक्षित वर्ग का सदस्य होने की स्थिति में मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र की प्रति.			संवीक्षा के लिए निर्धारित दिनांक एवं समय के पूर्व
3.	प्रतिभूति राशि जमा किये जाने की रसीद.		प्रतिभूति राशि जमा किये जाने की रसीद, रिटर्निंग ऑफिसर को नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय ही प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है.	
4.	मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा-36 के अंतर्गत विद्युत कम्पनी का बकाया न होने के सम्बंध में अदेय प्रमाणपत्र.			संवीक्षा के लिए निर्धारित दिनांक एवं समय के पूर्व
5.	मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा-36 के अंतर्गत के अंतर्गत *जिला पंचायत/जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत का बकाया न होने के सम्बंध में अदेय प्रमाणपत्र.			संवीक्षा के लिए निर्धारित दिनांक एवं समय के पूर्व
6.	अन्य –			
7.	अन्य –			

*जो लागू न हो उसे काट दें.

दिनांक ....

....

रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत) के हस्ताक्षर

नाम ....

सील ....

नवीन नामनिर्देशन प्ररूप–4 (पंचायत)

- पूर्व में पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिए पृथक पृथक नामनिर्देशन के प्ररूप प्रचलित रहे है.
- अब सभी पदों के लिए एक ही नामनिर्देशन प्ररूप–4 निर्धारित किया गया है.
- 19 कॉलम का संशोधित प्ररूप.
- कॉलम क्रमांक–17 में मतपत्र पर मुद्रित किये जाने वाले नाम के लिए स्थान (हिन्दी में).
- कॉलम क्रमांक–18 में मतपत्र में मुद्रित किये जाने वाले अभ्यर्थी के नाम की अंग्रेजी स्पेलिंग के लिए स्थान.
- प्रस्तावक और अभ्यर्थी का मोबाईल नम्बर अंकित करने के लिए स्थान (कॉलम क्रमांक–10 एवं 19).

नवीन नामनिर्देशन प्ररूप–4 (पंचायत)

- नामनिर्देशन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज़ों का विवरण अंकित करने का प्रावधान.
- नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुतिकरण के समय नामनिर्देशन क्रमांक/तारीख/समय के साथ साथ संलग्न दस्तावेज़ों का विवरण रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अंकित करने का प्रावधान.
- नामनिर्देशन पत्र को स्वीकृत या प्रतिक्षेपित करने सम्बंधी आदेश अंकित करने के लिए पर्याप्त स्थान.
- नामनिर्देशन पत्र की पावती और संवीक्षा करने की सूचना में संलग्न दस्तावेज़ों का विवरण और विशिष्ट निर्देश अंकित करने का प्रावधान.

मिलान सूची (चैकलिस्ट) की समाप्ति

- पूर्व में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मिलान सूची (चैकलिस्ट) में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज़ों का विवरण अंकित किया जाता था और दस्तावेज़ संलग्न न होने पर उन्हें प्रस्तुत करने की समयसीमा सम्बंधी निर्देश दिये जाते थे.
- संशाधित प्ररूप में उक्त प्रावधान पावती एवं संवीक्षा करने की सूचना में समाविष्ट कर दिया गया है.

अंग्रेजी में नाम प्राप्त करने के लिए निर्धारित परिशिष्ट–1 की समाप्ति

- आयोग द्वारा मतपत्र पर अभ्यर्थियों के नामों का क्रम निर्धारण अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के आधार पर करने का प्रावधान किया गया है.
- पुराने नामनिर्देशन प्ररूप–4 में अभ्यर्थी के नाम को अंग्रेजी में प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं था, इसलिए परिशिष्ट–1 में अंग्रेजी में नाम प्राप्त किया जाता था.
- नवीन नामनिर्देशन प्ररूप–4 के कॉलम–18 में मतपत्र में मुद्रित किये जाने वाले अभ्यर्थी के नाम की अंग्रेजी स्पेलिंग अंकित किये जाने का प्रावधान किया गया है और परिशिष्ट–1 को समाप्त कर दिया गया है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

हर वोट कीमती • हर निकाय महत्वपूर्ण

ऑनलाईन नामनिर्देशन (OLIN)

प्रशिक्षण

रिटर्निंग ऑफिसर हेतु

(28,नवम्बर 2020)

प्रावधान

- अभ्यर्थी या उसके प्रस्तावक द्वारा RO के समक्ष नामनिर्देशन पत्र परिदत्त करने की व्यवस्था यथावत प्रभावशील.
- नगर पालिका और पंचायत निर्वाचन में अभ्यर्थियों को ऑनलाईन नामनिर्देशन (OLIN) एप्लिकेशन के माध्यम से नामनिर्देशन भरने की अतिरिक्त सुविधा प्रदान की गई है.
- **यह व्यवस्था अनिवार्य नहीं है. अभ्यर्थी स्वेच्छा से इस सुविधा का लाभ उठा सकते है.**
- अभ्यर्थियों को अधिक से अधिक OLIN के माध्यम से नामनिर्देशन भरने हेतु प्रेरित किया जाये.

Concept

- OLIN एप्लिकेशन के माध्यम से अभ्यर्थी द्वारा स्वयं अथवा सुविधा केन्द्र पर अपना ऑनलाईन नामनिर्देशन (OLIN) तैयार किया जायेगा.
- इसके बाद अभ्यर्थी द्वारा OLIN को सबमिट कर उसका फाईनल प्रिन्टआॅऊट निकाला जायेगा.
- फाईनल प्रिन्टआॅऊट में पूर्तियाँ कर आवश्यक दस्तावेज संलग्न किये जायेंगे.
- फिर इसे नियत समयावधि में RO को समक्ष में परिदत्त किया जायेगा.
- RO द्वारा केवल वही OLIN विचारण में लिये जायेंगे जो अभ्यर्थी द्वारा उन्हें नियत समयावधि में समक्ष में परिदत्त किये गये हों. अन्य OLIN स्वतः निरस्त हो जायेंगे.

OLIN – लाभ

- अभ्यर्थी का यूनिक यूजर अकाऊँट.
- चौबीसों घण्टे (दिन–रात) नामनिर्देशन तैयार करने की सुविधा.
- सहज एवं सरल पारदर्शी प्रक्रिया.
- त्रुटि रहित नामनिर्देशन .
- ओव्हर राईटिंग और अपठनीयता की वजह से नामनिर्देशन निरस्त होने की आशंका की समाप्ति.

OLIN – लाभ

- दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा – दस्तावेजों के कटने–फटने और गुम होने के कारण नामनिर्देशन निरस्त होने का खतरा समाप्त.
- चैकलिस्ट से मिलान की सुविधा.
- नामनिर्देशन प्रस्तुतिकरण, संवीक्षा और नाम वापसी, प्रतीक चिन्ह आवंटन की जानकारी SMS के माध्यम से.
- ऑनलाईन डाटाबेस तैयार होने की सुविधा.

यूजर अकाऊँट पर अभ्यर्थी को प्राप्त होने वाले नियम और निर्देश

- निर्वाचन नियम (PDF).
- मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध) अधिनियम, 1964 (PDF).
- ऑनलाईन नामनिर्देशन के सम्बंध में मार्गदर्शिका.
- अभ्यर्थियों के लिए मार्गदर्शिका.
- आदर्श आचरण संहिता.
- प्रतीक चिन्हों की सूची.
- मैं ई.व्ही.एम. हूँ (मार्गदर्शिका).
- शपथपत्र के सम्बंध में निर्देश.
- नगर पालिका निर्वाचन के लिए निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने के सम्बंध में निर्देश.
- नगर पालिका निर्वाचन के लिए निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर.
- मतदान अभिकर्त्ताओं के लिए मार्गदर्शिका.
- मतगणना की प्रक्रिया मार्गदर्शिका.
- गणन अभिकर्त्ताओं के लिए मार्गदर्शिका.
- नगर पालका निर्वाचन के लिए निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र जारी करने के सम्बंध में निर्देश.
- आयोग के महत्वपूर्ण निर्देश.
- प्रिन्ट (प्ररूप एवं परिशिष्ट).

यूजर अकाउँट पर अभ्यर्थी को प्राप्त होने वाली विशेष जानकारियाँ

- मतदाता सूची. **की लिंक**
- मतदान केन्द्रों की सूची. **की लिंक**
- निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची. **की लिंक**

OLIN कहाँ किया जा सकेगा

1. निजी कम्प्यूटर अथवा लेपटॉप पर.
2. RO कार्यालय में स्थापित सुविधा केन्द्र पर.
3. मध्यप्रदेश ऑनलाईन कियोस्क पर.
4. लोकसेवा केन्द्र पर.
5. निजी साईबर कैफे पर.

- **आयोग की वेबसाईट www.mplocalelection.gov.in पर लिंक उपलब्ध.**
- **OLIN एप्लिकेशन का उपयोग करने के लिए इन्टरनेट कनेक्टिविटी होना अनिवार्य है.**

सुविधा केन्द्र

- सुविधा केन्द्र पर अभ्यर्थी को OLIN तैयार करने में सहायता दी जायेगी.
- सुविधा केन्द्र पर पंजीकरण के लिए केवल अभ्यर्थी के मोबाईल नम्बर का ही उपयोग किया जायेगा.
- अभ्यर्थी द्वारा बताये गये अनुसार उसके लिए यूजर आई.डी. और पासवर्ड बनाये जायेंगे.
- यूजर आई.डी. और पासवर्ड अभ्यर्थी को नोट करने के लिए कहा जाये, लेकिन यूजर आई.डी. और पासवर्ड का रिकार्ड डाटा एन्ट्री ऑपरेटर अपने पास किसी भी स्थिति में नहीं रखेगा.
- लॉगिन करने के लिए अभ्यर्थी के मोबाईल नम्बर पर OTP आयेगा. OTP दर्ज करने पर ही लॉगिन किया जा सकेगा.

RO कार्यालय सुविधा केन्द्र – 1

- सामान्य तौर पर 05 वार्डों के लिए एक टर्मिनल.
- टर्मिनल पर अच्छी स्पीड (कम से कम 512Kbps) की इन्टरनेट कनेक्टिविटी के साथ डेस्कटॉप या लेपटॉप, प्रिन्टर और स्केनर.
- फाईनल प्रिन्टआॅऊट निकालने के लिए A4 साईज के पर्याप्त पेपर की उपलब्धता.
- टर्मिनल पर भलि भाँति प्रशिक्षित डाटा एन्ट्री ऑपरेटर की ड्यूटी.
- निर्धारित प्रारूप में बैनर.

RO कार्यालय सुविधा केन्द्र – 2

- सुविधा केन्द्र निर्वाचन की सूचना जारी किये जाने की दिनांक से सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर शेष दिवसों में कार्यालयीन समय में कार्यशील.
- **नामनिर्देशन भरने की अंतिम तारीख को सुविधा केन्द्र प्रातः 08:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक ही कार्यशील.**
- कोई भी व्यक्ति प्रतिभूति निक्षेप की राशि जमा करने की रसीद दिखाकर ऑनलाईन नामनिर्देशन (OLIN) तैयार करवा सकता है.
- **OLIN की सुविधा निशुल्क रहेगी.**

मध्यप्रदेश ऑनलाईन कियोस्क और लोकसेवा केन्द्रों पर सुविधा केन्द्र

- जिलों में स्थापित एवं अधिकृत करने का निर्णय कलेक्टर द्वारा लिया जाकर इस सम्बंध में आवश्यक निर्देश जारी किये जायेंगे.
- **इन केन्द्रों पर अभ्यर्थी से शुल्क लिया जायेगा. निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है :–**

  (अ) सेवा शुल्क – 35 रूपये प्रति नॉमिनेशन फार्म (संलग्नक सहित)

  (ब) प्रिन्ट का शुल्क – 05 रूपये प्रति प्रिन्टऑऊट.
- ऑनलाईन कियोस्क और लोकसेवा केन्द्र पर कार्यरत डाटा एन्ट्री ऑपरेटर को DEO द्वारा प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जायेगी.
- सुविधा केन्द्रों पर निर्धारित प्ररूप में बैनर लगाया जायेगा और बैनर पर शुल्क की जानकारी अनिवार्य तौर पर अंकित की जायेगी.

प्रशिक्षण व्यवस्था

- DEO द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाये :–
  1. सुविधा केन्द्र और RO टर्मिनल पर नियुक्त डाटा एन्ट्री ऑपरेटर.
  2. मध्यप्रदेश ऑनलाईन कियोस्क और लोकसेवा केन्द्रों के कर्मचारी.
  3. नगर पालिका/पंचायत के वर्तमान जनप्रतिनिधिगण.
  4. मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधिगण.
  5. व्यापक प्रचार प्रसार के उद्देश्य से DEO द्वारा निर्धारित अन्य व्यक्ति.
- प्रशिक्षण के लिए मेप आई.टी. द्वारा जिलों में स्थापित **ई–दक्षता केन्द्रों** का उपयोग किया जाये.

अभ्यर्थी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही – 1 ऑनलाईन

1. अभ्यर्थी पंजीकरण का यूजर आई.डी. और पासवर्ड बनाना.
2. यूजर आई.डी. और पासवर्ड की सहायता से लॉगिंन करना.
3. नामनिर्देशन (OLIN) की जानकारी भरना.
4. शपथपत्र की महत्वपूर्ण जानकारी भरना.
5. महत्वपूर्ण दस्तावेज़ अपलोड करना (ऑपशनल).
6. प्रारूप OLIN की जाँच और यथास्थिति OLIN में सुधार.
7. OLIN को सबमिट करना.
8. OLIN का फाईनल प्रिन्ट निकालना.
9. बैक खाते से सम्बंधित जानकारी भरना.

अभ्यर्थी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही – 2 ऑफलाईन

10. फाईनल प्रिन्टऑऑऊट में चैकलिस्ट अनुसार पूर्तियाँ करना और दस्तावेज संलग्न करना.
11. संलग्न दस्तावेजों के साथ OLIN का फाईनल प्रिन्ट निर्धारित समयावधि में RO के समक्ष उपस्थित होकर जमा कराना.
12. RO से निर्धारित प्रारूप में पावती और संवीक्षा किये जाने की सूचना की प्रति प्राप्त करना.

अभ्यर्थी पंजीकरण

- पंजीकरण के लिए मोबाईल नम्बर होना जरूरी. एक मोबाईल नम्बर से दो या अधिक पंजीकरण किये जा सकते है.
- पंजीकरण के समय यूनिक पंजीकरण क्रमांक प्रदान किया जायेगा.
- पंजीकरण क्रमांक और मोबाईल नम्बर की सहायता से यूजर आई.डी. और पासवर्ड को रीसेट करने की सुविधा.
- प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक पंजीकरण करना अनिवार्य.
- पंजीकरण से अभ्यर्थी द्वारा यूजर आई.डी. और पासवर्ड बनाये जायेंगे.

अभ्यर्थी लॉगिन

- यूजर आई.डी. और पासवर्ड की सहायता से लॉगिन.
- लॉगिन करते समय रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर OTP भेजा जायेगा. OTP दर्ज करने के बाद ही लॉगिन किया जा सकेगा.
- लॉगिन करने के बाद OLIN तैयार करने की कार्यवाही की जा सकेगी.

OLIN तैयार करने के लिए आवश्यक दस्तावेज और जानकारी

- अभ्यर्थी के मतदाता सूची में नाम दर्ज होने से सम्बंधित जानकारी.
- प्रस्तावक के मतदाता सूची में नाम दर्ज होने से सम्बंधित जानकारी.
- चल अचल सम्पत्ति और दाण्डिक प्रकरणों के सम्बंध में अभ्यर्थी द्वारा दाखिल किया जाने वाला शपथपत्र.

अपलोड किये जाने वाले दस्तावेज (स्वैच्छिक)

- शपथपत्र.
- **नगर पालिका निर्वाचन के लिए** राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किये जाने के सम्बंध में सूचना (प्ररूप–8) (जैसा लागू हो).
- **नगर पालिका निर्वाचन के लिए** राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किये जाने की स्थिति में पदधारी को प्राधिकृत किये जाने की सूचना (प्ररूप–9) (जैसा लागू हो).
- जाति प्रमाणपत्र की स्वसत्यापित प्रति (जैसा लागू हो).
- प्रतिभूति निक्षेप की राशि जमा करने सम्बंधी रसीद.
- अभ्यर्थी का स्टॉम्प साईज का एक फोटोग्राफ (मतपत्र पर मुद्रित करने के लिए).

नामनिर्देशन (OLIN) तैयार करना

- OLIN एप्लिकेशन से एक अभ्यर्थी एक पद के लिए दो नामनिर्देशन (OLIN) तैयार कर सकता है.
- OLIN का प्रारूप प्रिन्टऑऊट निकालकर उसकी जाँच एवं उसमें आवश्यक सुधार किया जा सकता है.
- सबमिट करने के बाद OLIN में कोई सुधार नहीं किया जा सकेगा.
- OLIN का फाईनल प्रिन्टऑऊट निकालकर निर्धारित समयावधि में RO के समक्ष जमा करना होगा.

फाईनल प्रिन्टऑऊट

- फाईनल प्रिन्टऑऊट में निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रिन्ट होंगे :—

नगरपालिका

1. चैकलिस्ट.
2. **नामनिर्देशनपत्र प्ररूप—3, नियम—24(2)** — फोटो लगाने का स्थान, प्रस्तावक के हस्ताक्षर व दिनांक, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर व दिनांक और नामनिर्देशन के साथ संलग्न दस्तावेज़ का कॉलम (हाँ/नहीं) छोड़कर शेष भरा हुआ.
3. शपथपत्र के सार की जानकारी.

पंचायत

1. चैकलिस्ट.
2. **नामनिर्देशनपत्र प्ररूप—4 (नियम—31)** — फोटो लगाने का स्थान, प्रस्तावक के हस्ताक्षर व दिनांक, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर व दिनांक और नामनिर्देशन के साथ संलग्न दस्तावेज़ का कॉलम (हाँ/नहीं) छोड़कर शेष भरा हुआ.
3. शपथपत्र के सार की जानकारी.

फाईनल प्रिन्टऑऊट में की जाने वाली प्रविष्टियाँ

- प्ररूप में निर्धारित स्थान पर प्रस्तावक के हस्ताक्षर कर दिनांक अंकित की जाये.
- प्ररूप में निर्धारित स्थान पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर कर दिनांक अंकित की जाये.
- नामनिर्देशन पत्र के अन्य संलग्न दस्तावेज़ों का विवरण अंकित कर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर कर दिनांक अंकित की जाये.
- शपथपत्र के सार पत्र पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर किये जायें.

फाईनल प्रिन्टआॅऊट के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज

1. शपथपत्र की मूलप्रति दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ.
2. प्रतिभूति निक्षेप की राशि जमा करने सम्बंधी रसीद की प्रति.
3. **नगर पालिका निर्वाचन के लिए** राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किये जाने के सम्बंध में सूचना (प्ररूप–8) (जैसा लागू हो).
4. **नगर पालिका निर्वाचन के लिए** राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किये जाने की स्थिति में पदधारी को प्राधिकृत किये जाने की सूचना (प्ररूप–9) (जैसा लागू हो).
5. जाति प्रमाणपत्र की स्वसत्यापित प्रति (जैसा लागू हो).
6. अभ्यर्थी का स्टॉम्प साईज का एक फोटोग्राफ (मतपत्र पर मुद्रित करने के लिए). – केवल नगरपालिका के लिए

फाईनल प्रिन्टऑऊट को जमा करना

- फाईनल प्रिन्टऑऊट RO के समक्ष निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करना होगा.
- RO द्वारा OLIN का वेरिफिकेशन कर ऑनलाईन पावती एवं संवीक्षा करने की सूचना जेनरेट कर अभ्यर्थी को प्रदाय की जायेगी.
- किसी कारणवश यदि पावती एवं संवीक्षा करने की सूचना ऑनलाईन जेनरेट नहीं हो सकेगी तो OLIN में संलग्न प्ररूप को मेनुअली भरकर हस्ताक्षर कर अभ्यर्थी को दिया जायेगा.
- **यदि OLIN का फाईनल प्रिन्टऑऊट RO के समक्ष निर्धारित समयावधि में उपस्थित होकर जमा नहीं कराया जायेगा तो ऐसे OLIN को विचारण में नहीं लिया जायेगा और वह स्वतः निरस्त हो जायेगा.**

RO के कार्य

1. नामनिर्देशन (OLIN) के फाईनल प्रिन्ट ऑऊट को अभ्यर्थी/प्रस्तावक से भौतिक रूप से प्राप्त करना.
2. IEMS पोर्टल पर OLIN प्राप्ति का ऑनलाईन वेरिफिकेशन करना.
3. वेरिफिकेशन के लिए नामनिर्देशन का क्रमांक, प्राप्ति की तारीख और समय अंकित करना.
4. नामनिर्देशन पत्र में संलग्न दस्तावेज़ों को जाँच कर जानकारी अंकित करना, यदि महत्वपूर्ण दस्तावेज़ संलग्न नहीं है तो उसे कब तक जमा करना होगा, तदाशय की प्रविष्टि करना.
5. प्रतिभूति निक्षेप राशि दर्ज करना.
6. पावती का ऑनलाईन प्रिन्टऑऊट निकालकर अभ्यर्थी को प्रदान करना.

पावती

- RO को अभ्यर्थी की उपस्थिति में ही ऑनलाईन वेरिफिकेशन की कार्यवाही कर पावती एवं संवीक्षा करने की सूचना जेनरेट कर अभ्यर्थी को प्रदान की जानी चाहिए.
- अपरिहार्य स्थितियों में यदि ऑनलाईन वेरिफिकेशन सम्भव नहीं हो तो नामनिर्देशन पर वेसी ही कार्यवाही करनी चाहिए जैसे कि किसी ऑफलाईन नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने पर की जाती है.
- ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत OLIN में संलग्न प्ररूप में को मैनुअली भरकर पावती दी जानी चाहिए.

IEMS

- OLIN वेरिफिकेशन की कार्यवाही RO उनके IEMS के अकाऊँट से कर सकेंगे.
- जो अभ्यर्थी ऑफलाईन नामनिर्देशन प्रस्तुत करेंगे उनकी जानकारी RO द्वारा IEMS में पूर्व में जारी निर्देशों के अनुसार दर्ज की जायेगी.
- OLIN वेरिफिकेशन होने के बाद संवीक्षा, नाम वापसी, क्रम निर्धारण, प्रतीक चिन्ह आवंटन और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना आदि प्रक्रियाओं की प्रविष्टि पूर्ववत IEMS के माध्यम से की जायेगी.

बैनर प्ररूप

नगरपालिका आम एवं उप निर्वाचन

OLIN

ऑनलाईन नामनिर्देशन सुविधा केन्द्र

खुलने का समय प्रातः 10:30 से सायं 05:30 बजे तक

नामनिर्देशन की अंतिम अंतिम तारीख प्रातः 08:00 से दोपहर 12:00 बजे तक

ऑनलाईन नामनिर्देशन भरने के लिये उम्मीदवार के पास निम्नलिखित का होना अनिवार्य है :–

1. मोबाईल फोन.
2. चल अचल सम्पत्ति और अपराधिक प्रकरणों के सम्बंध में उम्मीदवार का शपथपत्र.
3. उम्मीदवार और प्रस्तावक के मतदाता सूची में नाम दर्ज होने से सम्बंधित जानकारी (वार्ड क्रमांक, भाग अनुक्रमांक और क्रमांक)
4. प्रतिभूति निक्षेप राशि जमा करने की रसीद.

नोट :– एक ऑनलाईन नामनिर्देशन भरने में सामान्यतः आधा घंटा समय लगता है.

बैनर प्रारूप

पंचायत आम एवं उप निर्वाचन

OLIN

ऑनलाईन नामनिर्देशन सुविधा केन्द्र

खुलने का समय प्रातः 10:30 से सायं 05:30 बजे तक

नामनिर्देशन की अंतिम अंतिम तारीख प्रातः 08:00 से दोपहर 12:00 बजे तक

ऑनलाईन नामनिर्देशन भरने के लिये उम्मीदवार के पास निम्नलिखित का होना अनिवार्य है :–

1. मोबाईल फोन.
2. चल अचल सम्पत्ति और अपराधिक प्रकरणों के सम्बंध में उम्मीदवार का शपथपत्र.
3. उम्मीदवार और प्रस्तावक के मतदाता सूची में नाम दर्ज होने से सम्बंधित जानकारी (ग्राम पंचायत एवं खण्ड का नाम, वार्ड क्रमांक, और मतदाता सूची का क्रमांक)
4. प्रतिभूति निक्षेप राशि जमा करने की रसीद.

नोट :– एक ऑनलाईन नामनिर्देशन भरने में सामान्यतः आधा घंटा समय लगता है.

- OLIN सुविधा केन्द्र की RO कार्यालय में स्थापना – हार्डवेयर, नेटवर्क कनेक्टिविटि, बैनर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, RO, ARO एवं अन्य सहायक कर्मचारियों का प्रशिक्षण.
- ई–दक्षता केन्द्र – प्रशिक्षण व्यवस्था.
- OLIN के सम्बंध में प्रचार प्रसार.
- मध्यप्रदेश ऑनलाईन कियोस्क एवं लोक सेवा केन्द्र पर OLIN सुविधा केन्द्र की स्थापना.
- सम्भावित अभ्यर्थियों के निरंतर प्रशिक्षण की व्यवस्था.

OLIN एवं IEMS प्रशिक्षण

- RO, ARO और उनकी टीम को OLIN तथा IEMS का गहन और हैण्डसऑन प्रशिक्षण दिया जाये. हैण्डऑन प्रशिक्षण के लिए टेस्ट लिंक निर्वाचन समाप्ति तक आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगी.
- OLIN का प्रशिक्षण डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, सम्भावित अभ्यर्थियों और राजनैतिक दलों के प्रतिनिधिगण को अनिवार्यतः दिया जाये. प्रशिक्षण सामग्री उप जिला निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध करा दी गई है. प्रशिक्षण सामग्री आयोग की वेबसाईट से भी डाउनलोड की जा सकती है.

OLIN- व्यवहारिक प्रशिक्षण

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

हर वोट कीमती • हर निकाय महत्वपूर्ण

निर्वाचन हेतु सहज एवं सरल ऑनलाईन प्रक्रिया

IEMS

(Integrated Election Management System)

निर्वाचन के महत्वपूर्ण कार्य जो अनिवार्यतः IEMS से किये जाना है

निर्वाचन की सूचना जारी करना.	DEO द्वारा
निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची जारी करना.	RO द्वारा
निर्वाचन परिणाम की घोषणा.	RO द्वारा
विजित अभ्यर्थी को निर्वाचन प्रमाणपत्र जारी करना	RO द्वारा

प्रारम्भिक कार्य एवं प्रशिक्षण

कार्य
जिला कार्यालय और RO कार्यालय के लिए नोडल अधिकारी और सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति
जिला कार्यालय और RO कार्यालय में पर्याप्त संख्या में कम्प्यूटर, स्केनर, प्रिन्टर और नेटवर्क कनेक्टिविटी की व्यवस्था
टेस्ट सर्वर पर RO के लिए प्रॉक्सी लॉगिन आई.डी. और पासवर्ड बनाना.
टेस्ट सर्वर पर RO, ARO, नोडल ऑफिसर और सहायक कर्मचारियों का प्रशिक्षण.

मेपिंग एवं आरक्षण

कार्य
वार्ड मास्टर और मतदान केन्द्र मास्टर एन्ट्री का परीक्षण एवं सुधार.
पंचायत निर्वाचन के लिए ग्राम पंचायत की जिला पंचायत और जनपद पंचायत वार्ड के साथ मुख्य सर्वर पर मेपिंग.
नगरीय निकाय एवं पंचायत के लिए आम एवं उप निर्वाचन हेतु प्रस्तावित निकायों एवं पदों के लिए आरक्षण की स्थिति की मुख्य सर्वर पर प्रविष्टि
मतों की गणना हेतु चरणों का निर्धारण तथा चरणों की निर्वाचन क्षेत्रों तथा मतदान केन्द्रों के साथ मेपिंग.

जिला निर्वाचन अधिकारी के महत्वपूर्ण कार्य

कार्य
मुख्य सर्वर पर वास्तविक तौर पर कार्य करने के लिए RO हेतु लॉगिन आई.डी. और पासवर्ड बनाना.

- **आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा अनुसार निर्वाचन की सूचना निर्धारित प्ररूप में IEMS के माध्यम से जारी करना अनिवार्य है.**
- RO द्वारा IEMS पर किये जा रहे कार्य की निगरानी.

रिटनिंग ऑफिसर के महत्वपूर्ण कार्य
नाम निर्देशन

- ऑनलाईन नामनिर्देशन OLIN का ऑनलाईन वेरिफिकेशन करना.
- **ऑफलाईन नामनिर्देशन पत्र की प्राप्ति कर सायं 05:00 बजे तक IEMS में जानकारी दर्ज करना.**
- संवीक्षा, नाम वापसी और प्रतीक चिन्ह आवंटन की नियत समय पर प्रविष्टि और निर्धारित प्ररूप के प्रिन्ट ऑऊट निकालकर जारी करना.
- **निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की प्रतीक चिन्ह सहित सूची IEMS से जारी करना अनिवार्य है.**

रिटनिंग ऑफिसर के महत्वपूर्ण कार्य महत्वपूर्ण

- **ऑफलाईन नामनिर्देशन पत्र प्राप्त नहीं होने पर भी IEMS में निरंक जानकारी दर्ज कर दैनिक विवरणी जेनरेट करना चाहिए.**
- मतपत्र पर मुद्रित किये जाने वाले अभ्यर्थी का नाम दर्ज करने के लिए इस बार पृथक से कॉलम दिया गया है. त्रुटि होने पर क्रम निर्धारण और प्रतीक चिन्ह आवंटन के समय भी नाम में आवश्यक संशोधन किया जा सकता है.

रिटनिंग ऑफिसर के महत्वपूर्ण कार्य
महत्वपूर्ण

- निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का ड्राफ्ट प्रिन्ट निकालकर जाँच कर आवश्यक सुधार करने की सुविधा दी गई है.
- निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का फाईनल प्रिन्ट जेनरेट किये जाने के बाद अभ्यर्थियों के नामों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा.
- अपरिहार्य स्थिति में आयोग की अनुमति के उपरांत ही परिवर्तन किया जा सकेगा. आयोग से अनुमति प्राप्त करने के लिए ऑनलाईन रिक्वेस्ट का बटन दिया गया है.

अभ्यर्थियों के शपथपत्र की महत्वपूर्ण जानकारी का मतदान केन्द्रों पर फ्लैक्स द्वारा प्रदर्शन

- अभ्यर्थी द्वारा आपराधिक पूर्ववृत्त, आस्तियों, दायित्वों तथा शैक्षणिक अर्हताओं के सम्बंध में एक शपथपत्र नामनिर्देशन के साथ प्रस्तुत किया जाता है.
- रिटर्निंग ऑफिसर को अभ्यर्थियों के शपथपत्र की जानकारी निर्वाचकों के लिए सार्वजनिक रूप से सम्प्रदर्शित की जानी चाहिए.
- आयोग द्वारा नगर पालिका एवं पंचायत आम तथा उप निर्वाचन में ऑनलाईन नामनिर्देशन (OLIN) प्राप्त किये जाने का प्रावधान किया गया है.

अभ्यर्थियों के शपथपत्र की महत्वपूर्ण जानकारी का मतदान केन्द्रों पर फ्लैक्स द्वारा प्रदर्शन

- OLIN के साथ अभ्यर्थी द्वारा शपथपत्र की महत्वपूर्ण जानकारी भी दर्ज की जाती है और उसका प्रिन्टऑऊट हस्ताक्षर कर नामनिर्देशन पत्र के साथ रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत किया जाता है.
- आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अभ्यर्थियों के शपथपत्र की महत्वपूर्ण जानकारी का एक तुलनात्मक सारपत्रक तैयार कर मतदान केन्द्र पर निर्वाचकों की जानकारी के लिए सम्प्रदर्शित किया जायेगा.
- शपथपत्र की महत्वपूर्ण जानकारी का तुलनात्मक सार पत्रक IEMS के माध्यम से रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जेनरेट किया जायेगा. यह पत्रक PDF फार्म में जेनरेट होगा.

अभ्यर्थियों के शपथपत्र की महत्वपूर्ण जानकारी का मतदान केन्द्रों पर फ्लैक्स द्वारा प्रदर्शन

- रिटर्निंग ऑफिसर इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी अभ्यर्थी का नाम छूटा नहीं हों और अभ्यर्थी द्वारा दाखिल किये गये शपथपत्र से भिन्न जानकारी तुलनात्मक सार पत्रक में उल्लेखित न हो.
- IEMS से जेनरेट शपथपत्र की महत्वपूर्ण जानकारी का तुलनात्मक सार पत्रक (PDF) की फ्लैक्स प्रिन्टिंग की जायेगी. फ्लैक्स का आकार अधिकतम 5 X 5 फीट होगा.
- फ्लैक्स के ऊपर के 1 फीट के हिस्से में शीर्ष अंकित होंगे और शेष 4 फीट में अभ्यर्थियों की जानकारी दर्ज होगी. प्रत्येक अभ्यर्थी की जानकारी के लिए न्यूनतम 6 इंच की जगह उपलब्ध कराई जायेगी. इस प्रकार एक फ्लैक्स पर अधिकतम 8 उम्मीदवारों की जानकारी अंकित की जा सकेगी.
- फ्लैक्स श्वेत पृष्ठभूमि का होगा और उस पर विवरण काली स्याही में अंकित किया जायेगा.

अभ्यर्थियों के शपथपत्र की महत्वपूर्ण जानकारी का मतदान केन्द्रों पर फ्लैक्स द्वारा प्रदर्शन

- प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए फ्लैक्स की एक यूनिट प्रिन्ट की जायेगी. यह फ्लैक्स पीठासीन अधिकारियों को मतदान सामग्री वितरण के समय प्रदान किये जायेंगे.
- पीठासीन अधिकारी मतदान केन्द्र पर सुविधाजनक स्थान पर निर्वाचकों के लिए यह फ्लैक्स टांग कर सम्प्रदर्शित करेंगे.
- फ्लैक्स की प्रिन्टिंग कलेक्टर कार्यालय/जिला पंचायत कार्यालय/नगरीय निकाय कार्यालय/अन्य जिला स्तरीय शासकीय कार्यालय में वर्तमान में नियमानुसार प्रचलित और स्वीकृत दर पर कराई जा सकती है.
- फ्लैक्स प्रिन्टिंग के लिए बजट आयोग द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा.

सांध्य दैनिक
प्रदेश टुडे
पूरा सच, बेहिचक
PRADESHTODAY.COM
WhatsApp Edition

पोलिंग बूथ में लगेगी प्रत्याशियों की कुंडली

राज्य निर्वाचन आयोग की पहल, वोटिंग से पहले मतदाता जान पाएंगे कौन अपराधी-कौन मालदार

बृजेन्द्र मिश्रा, भोपाल

प्रदेश टुडे अच्छी खबर

प्रदेश में आने वाले दिनों में होने वाले नगरीय निकाय चुनावों में नगर निगम के मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष तथा पार्षद पद के उम्मीदवारों की कुंडली मतदान केंद्र के बाहर लगाई जाएगी। यह आदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी कलेक्टरों को दिए हैं। उम्मीदवारों की यह कुंडली बड़े फ्लेक्स पर चार्ट के रूप में प्रिंट कराकर लगवाई जाएगी ताकि स्थानीय वोटर को वोट डालने जाते समय अपने क्षेत्र के नेता के बारे में पूरी जानकारी रहे। इस कुंडली में एक साथ सभी प्रत्याशियों के आय, योग्यता, अपराधिक रिकार्ड का ब्यौरा रहेगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यह व्यवस्था हाल में हो रहे कुछ नगरीय निकायों के आम और उपनिर्वाचन से ही लागू कर दी गई है। आयोग के आयुक्त आर. परशुराम के आदेश के बाद संबंधित जिलों में इसकी व्यवस्था शुरू कर दी गई है। प्रत्याशीवार बनाए जाने वाले चार्ट में मतदान केंद्र के बाहर उम्मीदवार के राजनीतिक दल, योग्यता, आजीविका के साधन, पारिवारिक चल व अचल सम्पत्ति का ब्यौरा, प्रत्याशी का सरकार पर बकाया, बैंकों से लिए गए लोन, अपराधिक प्रकरण की जानकारी लिखी रहेगी। इसमें यह भी स्पष्ट रहेगा कि कितने मामले में उम्मीदवार कोर्ट से सजा मिलने पर दोषी पाया गया है और कितने मामलों में उस पर कोर्ट में केस विचाराधीन हैं और कितने केस में संज्ञान में लिया गया है। सूत्रों का कहना है कि आयोग ने इस तरह की जानकारी आयोग की वेबसाइट पर भी डालने का फैसला लिया है। इसलिए जब नाम निर्देशन पत्र के साथ संबंधित प्रत्याशी का शपथ पत्र के आधार पर पूरा रिकार्ड रिटर्निंग अधिकारी के पास आ जाएगा तो अधिकारी इसे चार्ट के रूप में जनरेट कर सार्वजनिक करेंगे।

ताकि मतदाता को सही प्रत्याशी चुनने का मौका मिले

आयोग के सूत्रों के अनुसार चुनाव में बाहुबली और अपराधिक प्रवृत्ति के प्रत्याशियों की संख्या बहुतायत में होती है। कई बार लुभावने दावों में वोटर फंस जाते हैं और वे मतदान केंद्र पहुंचकर ऐसे उम्मीदवार को वोट दे देते हैं जिसे वास्तव में वे वोट नहीं करना चाहते। आयोग के अफसरों का कहना है कि मतदान केंद्र के बाहर सभी प्रत्याशियों की कुंडली एक साथ दिखने पर वोटर का ध्यान उस ओर जाएगा और वह सही जनप्रतिनिधि के चयन को लेकर सोचने को मजबूर होगा। इसके आने वाले समय में अच्छे परिणाम आएंगे।

वेबसाइट पर अलग से जानकारी

राज्य निर्वाचन आयोग ने वेबसाइट में जो व्यवस्था की है, उसमें वेबसाइट लिंक करने पर अभ्यर्थियों के शपथपत्र की महत्वपूर्ण जानकारी का तुलनात्मक सारपत्रक दिखने लगेगा। इसे क्लिक करते ही निर्वाचन और जिले का चयन करने के आप्शन आएंगे। दोनों ही आप्शन क्लिक करने के बाद निकाय और पद का चयन करने के दो आप्शन पर भी क्लिक करना होगा। इसके बाद सभी प्रत्याशियों की कुंडली एक साथ सामने आ जाएगी। उम्मीदवार पार्षद होने की दशा में वार्ड पर भी क्लिक करना होगा।

लगातार पारदर्शिता और साफ सुथरापन

आयोग ने निकाय चुनावों में पारदर्शिता और साफ सुथरे चनाव के लिए लगातार कोशिश की है। पिछले छह सालों में आयोग ने ईवीएम से वोटिंग के बाद अब आनलाइन नामांकन जमा कराने का काम भी शुरू कर दिया है। इसके साथ ही मतदाता सूची में होने वाली गड़बड़ी पर भी निगाह रखी जा रही है ताकि फर्जी वोटर वोटिंग न कर सकें। कुछ मामलों में आयोग की व्यवस्था भारत निर्वाचन आयोग की व्यवस्थाओं से आगे निकलने के बाद अधिकारी अब यह भी कह रहे हैं कि ये प्रयोग सफल रहे तो भारत निर्वाचन आयोग विधानसभा और लोकसभा चुनावों में ऐसे प्रयोग कर सकता है।

दै. पत्रिका 1 DEC 2017

नगरीय निकाय चुनावी तैयारी...

ऑनलाइन भर सकेंगे फार्म, मतदान केंद्र के बाहर प्रत्याशी का बायोडाटा होगा सार्वजनिक

नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त ने दिए निर्देश

निर्वाचन आयुक्त आर परशुराम ने की चुनावी तैयारी की समीक्षा

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

बड़वानी. चुनावी तैयारियों की समीक्षा करते राज्य निर्वाचन आयुक्त।

बड़वानी. नगरीय निकाय चुनाव में अब प्रत्याशी मतदाताओं से कुछ छुपा नहीं सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी नगरीय निकाय चुनावों को लेकर निर्णय लिया है कि प्रत्याशी का बायोडेटा मतदान केंद्र के बाहर सार्वजनिक किया जाएगा। गुरुवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त आर परशुराम ने चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। सुबह 9.30 बजे से आरंभ हुई बैठक 12.30 बजे तक चली। बैठक में बड़वानी और खंडवा का प्रशासनिक अमला, पुलिस विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। समीक्षा करते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त ने चुनावी कार्य को अतिगंभीरता से करने के निर्देश दिए।

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि इस बार नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2017 में अभ्यर्थियों को ऑनलाइन नामनिर्देशन एप्लिकेशन के माध्यम से नामनिर्देशन भरने की अतिरिक्त सुविधा प्रदान की गई है। अभ्यर्थी स्वेच्छा से इस सुविधा का लाभ उठा सकते है। ऑनलाइन के माध्यम से अभ्यर्थी द्वारा स्वयं अथवा सुविधा केंद्र पर अपना ऑनलाइन नामनिर्देशन तैयार किया जाएगा। इसके बाद अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन को सबमिट कर उसका फाइनल प्रिंटआउट निकाला जाएगा। फाइनल प्रिंटआउट में पूर्तियां कर आवश्यक दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे। फिर इसे नियत समयावधि में आरओ को समक्ष में प्रदत्त किया जाएगा।

प्रत्याशी की जानकारी मिलेगी मतदाता को

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि इस बार प्रत्याशी का सारा बायोडाटा सार्वजनिक किया जाएगा। जो जानकारी प्रत्याशी द्वारा दी जाएगी, उसे फ्लैक्स पर प्रिंट कराकर मतदान केंद्र के बाहर लगाया जाएगा। जिससे मतदाता को ये जानकारी मिल सके कि प्रत्याशी कितना पढ़ा लिखा है, कितनी संपत्ति का मालिक है। उस पर कोई केस तो नहीं चल रहा। यदि कोई पुलिस केस है तो उसकी सारी जानकारी भी सार्वजनिक की जाएगी। प्रत्याशी द्वारा गलत या झूठी जानकारी देने पर उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी से लिया प्रभार

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया नगरीय निकायों में पहली बार इवीएम के माध्यम से नगरीय निकायों के निर्वाचन कराए जा रहे है। उन्होंने कहा कि इवीएम मशीन के संबंध में आम मतदाताओं को जानकारी मुहैया कराने के उद्देश्य से ईवीएम मशीन की कार्यप्रणाली के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार भी कराएं। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने समीक्षा बैठक के दौरान समुचित जानकारी उपलब्ध न कराने पर अपर कलेक्टर जयेंद्र कुमार विजयवत से उप जिला निर्वाचन अधिकारी का प्रभार लेकर जिपं सीईओ बी कार्तिकियन को देने के भी निर्देश दिए।

ये भी दिए निर्देश

- रिटर्निंग ऑफिसर अभ्यर्थियों को जो भी नोटिस देंगे। उसे राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर तत्काल अपलोड करेंगे।
- अभ्यर्थियों को राष्ट्रीकृत बैंक में ही खाता खुलवाना होगा।
- आदर्श आचरण संहिता का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जाए।
- मतदान से 24 घंटे पूर्व नगरीय निकायों के साथ आसपास के क्षेत्रों में भी शराब पर प्रतिबंध रहेगा।

दोनों जिलों के कलेक्टरों ने बताई तैयारियां

बैठक में खंडवा और बड़वानी कलेक्टर ने बताया कि जिले में आयोग के निर्देशानुसार सभी तैयारियां पूर्ण कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले के सभी मतदान केंद्रों का सत्यापन करा लिया गया है, कम्युनिकेशन प्लॉन भी तैयार कर लिया गया है। बैठक में संभागायुक्त इंदौर संजय दुबे, उप पुलिस महानिरीक्षण एके पांडेय, राज्य निर्वाचन आयोग की सचिव सुनिता त्रिपाठी, उप सचिव गिरीश शर्मा, दीपक सक्सेना, बड़वानी कलेक्टर तेजस्वी एस नायक, खंडवा कलेक्टर अभिषेक सिंह, पुलिस अधीक्षक बड़वानी विजय खत्री, जिपं सीईओ बड़वानी बी कार्तिकियन, जिपं सीईओ खंडवा वरदमूर्ति मिश्रा आदि मौजूद थे।

पेड न्यूज पर विशेष फोकस रहेगा

बैठक में उपसचिव राज्य निर्वाचन आयोग गिरीश शर्मा ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया गया कि अन्य निर्वाचनों के समान नगरीय निकायों के निर्वाचन में भी पेड न्यूज पर विशेष फोकस रहेगा। उन्होने कहा कि पेड न्यूज और विज्ञापनों को सूक्ष्मता से समझने की जरुरत होगी। इसमें जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी का निर्णय महत्वपूर्ण होगा। पेड न्यूज के मामले में जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा रिटर्निंग ऑफिसर 24 घंटे में संबंधित उम्मीदवार को नोटिस देंगे। उन्होने कहा कि नोटिस देने में किसी भी प्रकार की उदासीनता स्वीकार्य नहीं होगी, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इसकी निरंतर मॉनिटरिंग की जाएगी।

निकाय चुनाव | राज्य निर्वाचन आयोग बूथ पर चस्पा करेगा प्रत्याशियों का बायोडाटा

मतदान से पहले जान सकेंगे हमारा प्रत्याशी कहां तक पढ़ा-लिखा और कितनी है संपत्ति

राज्य निर्वाचन आयुक्त आर परशुराम ने खंडवा और बड़वानी जिले के अधिकारियों की ली बैठक

भास्कर संवाददाता | बड़वानी

इस बार नगर निकाय चुनाव में मतदाता वोट डालने से पहले अपने उम्मीदवार की शिक्षा और उसकी संपत्ति के बारे में जान सकेगा। राज्य निर्वाचन आयोग सभी मतदान केंद्रों पर प्रत्याशियों का बायोडाटा चस्पा करेगा। इस आशय की जानकारी राज्य निर्वाचन आयुक्त ने दी।

गुरुवार को कलेक्टोरेट में राज्य निर्वाचन आयुक्त आर परशुराम ने बड़वानी व खंडवा जिले के अधिकारियों की बैठक लेकर चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने एक माह में अधिसूचना जारी होने की बात भी कही। पहली बार मतदान केंद्रों के बाहर बैनर लगाएंगे। इन पर उम्मीदवारों की सम्पत्ति, योग्यता व अपराध संबंधित जानकारी रहेगी। उन्होंने चुनाव के दौरान मोबाइल एप का उपयोग करने की बात कही।

इस बार राज्य निर्वाचन आयोग ने किए हैं कई बदलाव, जानिए... किसको क्या मिलेगी सुविधा

मतदाता के लिए : निर्वाचन आयोग ने तैयार किया 'चुनाव' मोबाइल एप

राज्य निर्वाचन आयोग ने मोबाइल एप तैयार किया है। इस एप को 'चुनाव' नाम दिया है। इस एप से छह प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पहली मतदाता जानकारी, अपना मतदान केंद्र खोजें, वोटर स्लिप, समाचार, उम्मीदवारों की जानकारी और चुनाव परिणाम। गुगल प्ले स्टोर से एप 'चुनाव' (Chunav) को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं।

राजनीतिक दलों की यह है तैयारी

भाजपा : प्रदेश व जिला प्रभारी नियुक्त किए। जिलाध्यक्ष ओम खंडेलवाल ने बताया आचार संहिता लगने के बाद प्रदेश की टीम सर्वे कर प्रत्याशियों का चयन करेगी।

कांग्रेस: 4 माह पहले सर्वे कर प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। जिलाध्यक्ष सुखलाल परमार ने बताया पैनल बनाकर जिले से प्रदेश कांग्रेस को भेजेंगे।

अफसरों के साथ चर्चा करने के लिए आए राज्य निर्वाचन आयुक्त आर परसुराम व कमिश्नर संजय दुबे।

अफसर-कर्मचारियों के लिए : ओवर कांफिडेंट न रहें, गंभीरता से काम करें

आयुक्त ने कहा निर्वाचन कार्य में लगे सभी अधिकारी व कर्मचारी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही कार्रवाई करें। निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शिता से पूरा कराएं। चुनाव के दौरान ओवर कांफिडेंट न होकर कार्यों को गंभीरता से करने की बात कही। 30 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप में देना होगी। उपसचिव राज्य निर्वाचन आयोग गिरीश शर्मा ने पेड न्यूज की निगरानी की जानकारी दी। उन्होंने बताया उम्मीदवारों को राष्ट्रीयकृत बैंक में ही खाता खुलवाना होगा।

उम्मीदवार के लिए : ऑनलाइन भर सकते हैं नामांकन

नाम निर्देशन एप्लिकेशन के माध्यम से भी उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर सकते हैं। वे स्वयं या सुविधा केंद्र पर ऑनलाइन नाम निर्देशन तैयार करा सकेंगे। ऑनलाइन सबमिट कर फाइनल प्रिंटआउट निकाला जाएगा। फाइनल प्रिंटआउट में पूर्तियां कर जरूरी दस्तावेज संलग्न करेंगे। इसे नियत समयावधि में आरओ के समक्ष पेश करना होगा। जो नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर के पास समयावधि में प्रस्तुत होंगे, उनकी ही ऑनलाइन इंट्री स्वीकार की जाएगी। जो नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे उनकी ऑनलाइन इंट्री स्वतः निरस्त हो जाएंगी। सभी उम्मीदवारों को खर्च की जानकारी रखना होगी।

कलेक्टरों ने बताई तैयारियां

बड़वानी कलेक्टर तेजस्वी नायक व खंडवा कलेक्टर अभिषेक सिंह ने बताया सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। सभी मतदान केंद्रों का सत्यापन करा लिया है। कानून व्यवस्था की दृष्टि से भी पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। अपर कलेक्टर जयेंद्र कुमार विजयवत से उपजिला निर्वाचन अधिकारी का प्रभार लेकर जिपं सीईओ बी कार्तिकियन को देने के भी निर्देश दिए।

उप निर्वाचन जनवरी 2018

नगर परिषद - सेमरिया जिला - रीवा के अध्यक्ष पद के

अभ्यर्थियों के शपथपत्र की महत्वपूर्ण जानकारी का सार पत्रक *

									दाण्डिक प्रकरण		
क्र.	अभ्यर्थी का नाम	राजनैतिक दल	शिक्षा	वृत्ति या आजीविका	पारिवारिक चल सम्पत्ति का कुल मूल्य	पारिवारिक अचल सम्पत्ति का कुल मूल्य	सरकारी कुल बकाया	कुल बैंकिंग एवं अन्य ऋण	आरोप नियत	संज्ञान प्रकरण	सिद्ध दोष प्रकरण
1	अजीत कुमार पाण्डेय	इण्डियन नेशनल कांग्रेस	M.D. (PHYSICIAN)	BUSINESS PETROL PUMP	2750177	6444000	0	6019775	0	0	0
2	कुंजीलाल कुशवाहा	भारतीय जनता पार्टी	साक्षर	Agricultre	200737	70000	0	0	0	0	0
3	विष्णुसुमन	बहुजन समाज पार्टी	10 th	agriculture	575000	1500000	0	0	0	0	0
4	इस तयाक	निर्दलीय	स नातक	चिकित सा व यवसा	3007000	1000000	0	0	0	0	0
5	नीलू सिंह	निर्दलीय	BA	AGRICULTRE	0	0	0	0	0	0	0
6	रामाधार	निर्दलीय	BA I year	Agriculture, Nagar Parishad parshad Allownce(Bhatta)	0	2000000	0	1108.16	0	0	0

*अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन नामनिर्देशन में प्रविष्ट की गई जानकारी से रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जेनरेट

सियासत एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में किया खुलासा

बीस निकाय क्षेत्रों में 12 अपराधी लड़ रहे हैं चुनाव

पीपुल्स संवाददाता • भोपाल
editor@peoplessamachar.co.in

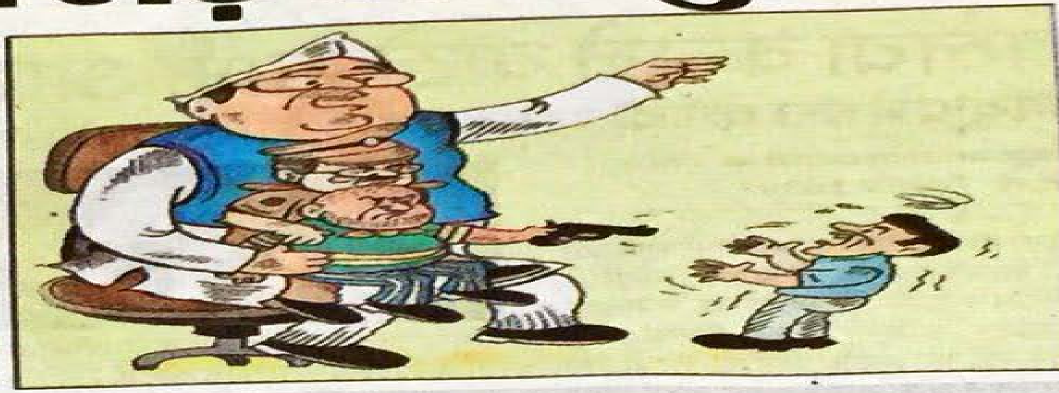

मध्यप्रदेश में इस माह होने वाले 20 नगरीय संस्थाओं के चुनाव में 12 ऐसे लोग अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहे हैं जिन पर आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इनमें से 9 ऐसे लोग भी हैं जिन पर गंभीर अपराध दर्ज हैं। यह जानकारी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की संस्था मध्यप्रदेश इलेक्शन वॉच ने शनिवार को जारी प्रेसनोट में स्टोर में दी है। मध्यप्रदेश में जिन 20 नगरीय निकायों में 17 जनवरी को मतदान होना है, उनमें गुना जिले की दो, बड़वानी की सात, धार की आठ, अनूपपुर खंडवा रीवा की एक-एक परिषद शामिल हैं।

एडीआर की रोली शिवहरे ने बताया कि हमने पहली बार नगरीय निकायों में भाग्य आजमा रहे अध्यक्ष पद के दावेदारों का विश्लेषण किया तो दंग रह गए कि इनमें कई लोग आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं। उन्होंने बताया कि मतदाताओं को जागरूक करने और उनके मत का सही उपयोग हो सके इसलिए यह रिपोट उन जिलों में खासतौर पर जारी की जा रही है जहां मतदाता अपने उम्मीदवार की पहचान कर सकें।

जानकारी एक नजर में

- कुल नगरीय निकाय – 20
- कुल उम्मीदवार – 76
- भाजपा के उम्मीदवार – 20
- कांग्रेस के उम्मीदवार – 19
- आपराधिक आरोपी – 12
- गंभीर आपराधिक आरोप – 9
- सबसे अमीर उम्मीदवार की संपत्ति 13 करोड़ रुपए
- सबसे कम सबसे गरीब उम्मीदवार की संपत्ति 500 रुपए
- असाक्षर – 1
- साक्षर – 13
- 5वीं से 12वीं तक की पढ़ाई – 33
- स्नातक या उससे ऊपर – 28

यहां हो रहे हैं चुनाव

चुनाव राघोगढ़ विजयपुर (जिला गुना) धार, मनावर, पीथमपुर, धर्मपुरी, धामनोद, राजगढ़, सरदारपुर, ढही (जिला धार) सिमरिया उपचुनाव (रीवा) जैतहरी (अनूपपुर) ओंकारेश्वर (खंडवा) शामिल हैं।

100 प्रतिशत एफडीआई

पुरस्
समारो

भोपाल।
हुई विन्ध्य
में अच्युत
स्थान पर
प्रशांत ति
चित्रकल
तिवारी प्र
व कपिल
रहे। ऋच
आकांक्षा
व कपिल
चित्र ब
आयोजि
नारायण
पुरुस्का
विन्ध्य
नारायण
द्विवेदी
बघेल ने
प्रमाणप
विजेता
पांच ह
हजार
शारदा
कार्यक्र
पदाधि
विन्ध्यज

5

पीपुल्स
editor@

केंद्रीय
दिनों से
की सि
मंगलव
अपने
से बात
किसी ने

पोलिंग बू

'अब पार्षद उम्मीदवार की शिक्षा और आय जान पाएंगे वार्डवासी'

रायसेन। अम्बुज माहेश्वरी

वार्ड के समुचित विकास का वादा कर जनता के बीच पहुंचने वाले पार्षद पद के उम्मीवारों की सम्पत्ति और शिक्षा जैसी महत्वपूर्ण जानकारी से अब तक वार्ड की जनता अंजान रहती थी लेकिन अब यह जानकारी ऑनलाइन देखी जा सकती है। जी हॉं अब तक निकाय चुनावों के मामले में प्रदेश में केवल महापौर और अध्यक्ष के शपथ पत्र निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर होते थे लेकिन इन दिनों संपन्न हो रहे मण्डीदीप, मैहर और ईसागढ़ नपा चुनाव के साथ पार्षद उम्मीदवारों के शपथ पत्र को ऑनलाइन करने की शुरुआत राज्य निर्वाचन आयोग ने कर दी है। आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग आर परशुराम ने शनिवार को नवदुनिया से हुई विशेष चर्चा के दौरान इस बारे में जानकारी दी। तीनों निकाय चुनावों में अध्यक्ष सहित पार्षद पद के जितने भी उम्मीदवारों ने फार्म जमा किए हैं इनके शपथ पत्र आयोग की वेबसाईट पर अपलोड भी हो गए हैं।

महापौर,अध्यक्ष से की थी शुरुआत: आयोग ने 2014 में संपन्न हुए नगरीय निकाय चुनावों से महापौर और अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के नामांकन फार्म के साथ जमा किए जाने

राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किए नए दिशा निर्देश

वाले शपथ पत्र को ऑनलाईन करने की शुरुआत की थी, इसके बाद पंचायत चुनावों में सरपंच पद के उम्मीदवारों के भी शपथ पत्र ऑनलाईन किए गए लेकिन इस कड़ी से पार्षद उम्मीदवार बचे हुए थे जिसे इस बार आयोग ने पूरा करते हुए जनता के बीच इनकी भी आय और शिक्षा का पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत कर दिया है।

आगे पंचों के शपथ पत्र भी होंगे ऑनलाइन: किसी भी तरह के चुनावों के उम्मीदवारों से जुड़ी जानकारियों को पोर्टल पर लेने में निर्वाचन आयोग तेजी दिखा रहा है। बीते तीन सालों में आयोग ने चुनाव से जुड़ी अधिकतर जानकारी को ऑनलाईन कर दिया है।

आयुक्त आर परशुराम ने बताया कि पंचायत चुनावों में अब हमारा फोकस सरपंच के अलावा अन्य उम्मीदवारों के शपथ पत्रों को ऑनलाईन करने में होगा। उन्होंने बताया कि मंदसौर के नपा चुनाव से आयोग ने एक नवाचार किया है जिसका बड़ा लाभ आगामी आम चुनावों में देखने को मिलेगा। उन्होंने बताया कि 32 लिफाफों के स्थान पर अब केवल 4 लिफाफे तैयार किए जाते हैं जिससे आने वाले समय में करोड़ों रुपए की स्टेशनरी बचत होगी।

सीधी बात : आर परशुराम, आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग

सवाल : पार्षद पद के उम्मीवारों के शपथ पत्र ऑनलाईन किए जा रहे हैं?

जवाब : जी हॉं अब तक महापौर-अध्यक्ष के होते थे अब आआयोग पे पार्षदों के शपथ पत्र भी पोर्टल पर ऑनलाइन करना शुरू किया है।

सवाल : आगे और भी नवाचार किए जाने की क्या तैयारी है?

जवाब : पंचायत चुनावों में आयोग सरपंच के साथ अब पंच के शपथ पत्र भी ऑनलाईन करेगा।

सवाल : मण्डीदीप नपा चुनाव हाईप्रोफाइल है?

जवाब : आयोग के लिए सभी चुनाव एक समान होते है, पूरी पारदर्शिता और आचार संहिता के पालन के साथ चुनावों को कराना आयोग की जिम्मेदारी है।

228 पार्षद उम्मीदवारों के शपथ पत्र हुए ऑनलाइन

जिले की मण्डीदीप नगरपालिका सहित सतना जिले की मैहर और अशोकनगर जिले की ईसागढ़ नगरपालिका के 228 पार्षद पद के उम्मीदवारों के शपथ पत्र ऑनलाईन कर दिए गए है। इसके अलावा तीनों नपा में अध्यक्ष पद के 36 प्रत्याशियों के शपथ पत्र ऑनलाईन हुए है। अध्यक्ष पद के लिए मैहर में सर्वाधिक 20 फार्म, मण्डीदीप में 9 और ईसागढ़ में 7 फार्म जमा हुए हैं।

शपथपत्र की महत्वपूर्ण जानकारी का सारपत्रक

आम निर्वाचन 2017 पूर्वार्ध

नगर परिषद्- सैलाना जिला-रतलाम के अध्यक्ष पद के
अभ्यर्थियों के शपथपत्र की महत्वपूर्ण जानकारी का सार पत्रक ✻

क्र.	अभ्यर्थी का नाम	राजनैतिक दल	शिक्षा	वृत्ति या आजीविका	पारिवारिक चल सम्पत्ति का कूल मूल्य	पारिवारिक अचल सम्पत्ति का कुल मूल्य	सरकारी कुल बकाया	कुल बैंकिंग एवं अन्य ऋण	दाण्डिक प्रकरण		
									आरोप नियत	संज्ञान प्रकरण	सिद्ध दोष प्रकरण
1.	क्रांती	भारतीय जनता पार्टी	बी.एस.सी. एल.एल.बी.	अभिभाषक	3319000	9400000	0	1100000	0	0	0
2.	नम्रता जितेन्द्र सिंह (छोटू दरबार)	इंण्डियन नेशनल कांग्रेस	9वी	व्यापार	603895	3000000	0	0	0	0	0
3.	शिवकन्या पाटीदार	निर्दलीय	अक्षरज्ञान	गृहकार्य, कृषि	876000	0	0	0	0	0	0

✻ अभ्यार्थी द्वारा ऑनलाईन नाम निर्देशन में प्रविष्ट की गई जानकारी से रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जेनरेट

आम निर्वाचन 2017 पूर्वार्ध
नगर परिषद् - आठनेर जिला - बैतूल के अध्यक्ष पद के
अभ्यर्थियो के शपथपत्र की महत्वपूर्ण जानकारी का सार पत्रक
दाण्डिक प्रकरण
क्रं
अभ्यर्थी का नाम
राजनैतिक दल
शिक्षा
वृत्ति या आजीविका
पारिवारिक चल सम्पत्ति का कुल मूल्य
पारिवारिक अचल सम्पत्ति का कुल मूल्य
सरकारी कुल बकाया
कुल बैंकिंग एवं अन्य ऋण
आरोप नियत
संज्ञान प्रकरण
सिद्ध दोष प्रकरण
1. अशोक लोखंडे इण्डियन नेशनल कांग्रेस 11th बिजिनेस 0 1100000 0 80000 0 0 0
2. सूरज राठौर भारतीय जनता पार्टी 11th बिजिनेस 520000 0 0 0 0 0 0
* अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन नामनिर्देशन में प्रविष्ट की गई जानकारी से रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जेनरेट

आम निर्वाचन 2017 पूर्वार्ध

आम निर्वाचन 2017 पूर्वार्ध
सैलाना

रिटनिंग ऑफिसर के महत्वपूर्ण कार्य
मतगणना

- मतों की गणना की मतदान केन्द्रवार प्रविष्टि.
- निर्वाचन परिणाम की घोषणा
- **IEMS के माध्यम से निर्वाचन प्रमाणपत्र जारी करना है.**

धन्यवाद